ई नीलामी के संबंध में प्री बिड मीटिंग दिनांक 24.4.15 में प्राप्त सुझाव/प्रश्न।

--

मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम के तत्वावधान में दिनांक 24.4.15 को प्रशासन अकादमी के समिति कक्ष में रेत खदानों की ई नीलामी के संबंध में खनिज निगम, टी.सी.एस, मेप आईटी संचालनालय, भौमिकी एवं खनिकर्म, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं सिया के अधिकारियों के साथ नीलामी में भाग लेने के इच्छुक आवेदकों को प्रक्रिया, नियम, निर्देशों *आदि* की जानकारी देने तथा इस संबंध में उनके प्रश्नों का समाधान करने एवं अपनाई जा रही प्रक्रिया में भागीदारी करने वाले आवेदकों के क्षेत्रीय एवं व्यावसायिक अनुभव के आधार पर सुधार हेतु कोई सुझाव आमंत्रित करने के उददेश्य से एक प्री बिड मिटिंग का आयोजन किया गया। *मीटिंग में उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों/उपस्थित संभावित बोलीकर्ताओं के उपस्थिति पत्रक की छायाप्रति संलग्न है ।*

बैठक के दौरान मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम , टी.सी.एस. मेप आईटी के अधिकारियों द्वारा रेत खदानों की ई नीलामी हेतु तैयार किये गये दस्तावेजों एवं अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की जानकारी का तथा लागू किये गये कार्यक्रम का प्रस्तुतीकरण किया गया। इसी प्रकार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड /सिया/संचालनालय,भौमिकी एवं खनिकर्म के अधिकारियों द्वारा संगत नियमों के संबंध में संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण करते हुये इनके प्रावधानों के अंतर्गत अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया की जानकारी उपस्थितियों को प्रदान की गई।

बैठक में प्रदेश के विभिन्न अंचलों/जिलों से काफी संख्या में उत्सुक आवेदकों द्वारा भाग लिया गया एवं अपनाई जा रही प्रक्रिया की सराहना करते हुये मुख्य रूप से निम्न सुझाव/प्रश्न प्रस्तुत किये गये -

सुझाव/प्रश्न	उत्तर
1: जारी ई-नीलामी सूचना के अनुसार बोलीकर्ता उम्मीदवार को 15 दिवस में अनुबंध निष्पादन करने का प्रावधान है जिसमें स्टाम्प शुल्क जमा कर पंजीयन कराना है, जबकि माईनिंग प्लान, पर्यावरणीय अनुमतियॉ तदुपरान्त निर्धारित समय सीमा में प्रस्तुत करने का प्रावधान रखा गया है यदि किन्हीं प्रशासकीय एवं तकनीकी कारणों से पर्यावरणीय अनुमति या माईनिंग प्लान की अनुमतियॉ प्राप्त नहीं होती हैं एवं ठेका रदद हो जाता है जिसमें सफलबोलीदार की कोई त्रुटि नहीं है तब उस दशा में जमा की गई स्टाम्प डयूटी क्या वापस की जावेगी ?	सुझाव संज्ञान में लिया गया । कृपया ई-नीलामी प्रपत्र में प्रथम संशोधन देखें।
2: एक से अधिक बिड में एक साथ भाग लेने वाले बोलीदार को अंतिम 10 मिनिट को जो समय बिड बढाने के लिये प्रदान किया गया है वह व्यावहारिक एवं व्यावसायिक दृष्टि से विचार कर निर्णय लेने के संदर्भ में कम परिलक्षित होता है उसे बढाया जाना चाहिये!	*कोई टिप्पणी नहीं।*
3: होशंगाबाद की रायपुर खदान जिसका क्षेत्रफल वृहद है को विभक्त किया गया है जिसमें एक से अधिक सफलबोलीदार होने की दशा में सीमांकन कर खदान के लिये रास्ते की व्यवस्था का उल्लेख नहीं है!	उप कार्यालय होशंगाबाद के प्रभारी अधिकारी *से* सम्पर्क कर खदानों के रकबे की जानकारी प्राप्त *की जा सकती है।*
4: सिया की अनुमति के संदर्भ में क्लस्टर को स्पष्ट परिभाषित किया जाना चाहिये!	*कोई टिप्पणी नहीं।*
5: रेत का कम या अधिक भराव प्राकृतिक आधारों पर निर्भर करता है अत: कम रेत उठाने पर अनुबंध निरस्त करने के प्रावधान पर पुनर्विचार किया जाना चाहिये!	सुझाव संज्ञान में लिया गया । कृपया ई-नीलामी प्रपत्र में प्रथम संशोधन देखें।

सुझाव/प्रश्न	उत्तर
6: वेट टैक्स अग्रिम लिया जा रहा है जबकि बाद में उसे समायोजित करने का प्रावधान है साथ ही प्रतिमाह वास्तविक मात्रा का पत्रक दिया जाना भी प्रावधानित है , तब वेट की राशि अग्रिम नहीं लेनी चाहिये बल्कि वास्तविक निकासी मात्रा पर ही वेट टैक्स लेने का प्रावधान होना चाहिये!	कोई टिप्पणी नहीं।
7: रेत भण्डारण के क्या प्रावधान रहेंगे, भण्डारण की दशा में पिटपास उपलब्धता का क्या प्रावधान होगा?	इस बावत् भंडारण नियमों में स्पष्ट प्रावधान वर्णित है । मूल ट्रांजिट पास जमा करने पर भंडारण से रेत निकासी हेतु पृथक ट्रांजिट पास जारी करने का प्रावधान है ।
8: ठेकेदार ट्रांजिट पास में रेत का क्या मूल्य अंकित करेगा ।	बिक्री मूल्य अंकित करेगा ।
9: माईनिंग प्लान एवं पर्यावरण स्वीकृति में यदि कम मात्रा का अनुमोदन होता है तब सफल बोलीदार द्वारा अधिक मात्रा के लिये दिए गए ऑफर को समानुपातिक रूप से कम करने/ समायोजन/वापसी के क्या प्रावधान हैं?	सुझाव संज्ञान में लिया गया । कृपया ई-नीलामी प्रपत्र में प्रथम संशोधन देखें।
10: एक लॉगिंन आईडी से क्या एक से अधिक बिड में भाग लिया जा सकेगा?	जी हां । किंतु मल्टीपल लॉगिंन नहीं किया जा सकेगा।
11: खरगौन जिले की मण्डलेश्वर के उपर की ओर स्थिति कुछ खदानें बांध में जल स्तर बढने पर बन्द हो जाती हैं साथ ही इनमें मा0न्यायालय में प्रकरण प्रचलित है क्या इन्हें भी ई नीलामी में शामिल किया गया है एवं इनके संचालन की क्या स्थिति रहेगी?	माननीय उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।
12: खदान क्षेत्र में विडियो कैमरे लगाने का प्रावधान व्यवसाय के लिये अत्यन्त उत्तम है किन्तु बिजली, आधारभूत संरचना एवं अन्य वांछित सुविधाओं के अभाव में व्यावहारिक नहीं होने से इस प्रावधान को अनिवार्य नहीं किया जाना चाहिये।	सुझाव संज्ञान में लिया गया । कृपया ई-नीलामी प्रपत्र में प्रथम संशोधन देखें।

सुझाव/प्रश्न	उत्तर
13: क्या आस पास के क्षेत्र में जो संबंधित ठेकेदार को स्वीकृत नहीं है ऐसे क्षेत्र में अवैध उत्खनन को रोकने की जिम्मेदारी अनुबंधित सफल बोलीदार की होगी अथवा उसे केवल प्रशासन को सूचना ही देने की जिम्मेदारी है?	कंडिका 2.11 में स्पस्ट प्रावधान है। कोई टिप्पणी नहीं
14: प्रत्येक खदान की पृथक पृथक ई.सी. लेना होगी अथवा ग्रुपवार ?	समूहवार पर्यावरण स्वीकृति लेनी होगी।
15: इन खदानों में मशीनों के उपयोग को स्पष्ट किया जाना चाहिये।	पर्यावरण स्वीकृति के प्रावधान/ शर्तो के अनुसार कार्य करना होगा।
16: क्या ई.सी. ,वाटर एवं एअर कंसेट सफल बोलीदार को शीघ्रता से प्राप्त हो सके इसके लिये कोई पृथक व्यवस्था की जा रही है?	कोई टिप्पणी नहीं।
17: क्या ई.सी., वाटर एवं एअर कंसेट सफल बोलीदार की ठेका अवधि से को रिलेट हो सकेंगी?	प्रचलित नियमों के अनुसार, अत: कोई टिप्पणी नहीं।
18: क्या माईनिंग कारपोरेशन द्वारा किन्हीं खदानों के लिये माईनिंग प्लान अथवा ई.सी. प्राप्त करने की कार्यवाही की गई है?	कोई टिप्पणी नहीं।
19: वाटर एवं एअर कंसेट में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा केवल नॉनमानसून अवधि के लिये खदान संचालन की अनुमति की शर्त रहती है जो कि लगभग 8 से 9 माह होती है जबकि सफल बोलीदार द्वारा सम्पूर्ण वर्ष की कार्ययोजना अनुसार राशि प्रदाय की जाती है, इस स्थिति में क्या अतिरिक्त अवधि प्रदान की जावेगी अथवा समानुपातिक रूप से राशि लौटाई जावेगी?	जी नहीं । EC अनुसार ही रेत निकासी की जा सकेगी । बोलीकर्ता को तदनुसार माहवार मासिक कार्ययोजना प्रस्तुत करना चाहिये ।
20: स्टाम्प ड्यूटी कितने प्रतिशत रहेगी।	प्रचलित नियम अनुसार
21: यदि कोई दो बिडर एक ही एमांउट में बिड करते है तो किसकी बिड मान्य होगी।	जिस बिडर ने पहले अपना आफर अपलोड कर दिया है, उसी को सिस्टम एक्सेप्ट करेगा। अत: दो बिडर एक ही राशि के लिये बिड कर ही नहीं सकते।